

कार्यालय नगर पंचायत ,रुद्रपुर ,देवरिया

अति अल्पकालिक कोटेशन सूचना

नगर पंचायत रुद्रपुर जनपद देवरिया में सायंकालीन पथ प्रकाश व्यवस्था के विस्तारी करण एवं पथ प्रकाश व्यवस्था के मरम्मत हेतु निम्नलिखित पथ प्रकाश उपकरण/सामग्रियों की आपूर्ति हेतु हैवेल्स, व फिलिप्स कम्पनियो के वर्श 2013-14 के लिए अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया एवं कार्यालय नगर पंचायत रुद्रपुर पर रखे गये कोटेशन बाक्स मे दिनांक 14.02.2014 को अपरान्ह 14:00 बजे तक कोटे इन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त कोटेशनो को उसी दिन अपरान्ह 16:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जायेगा। कोटेशन के साथ अग्रिम जमानत धनराशि के रूप में ` 100000.00 (एक लाख मात्र) एन0एस0सी0/के0वी0पी0/एफ0डी0आर0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रुद्रपुर के पदनाम बंधक हो मूलरूप से कोटे इन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, तथा उसका उल्लेख कोटेशन पर करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। कोटेशन से सम्बंधित अन्य नियम व भातों की जानकारी कार्यालय समय एवं दिवस में कार्यालय नगर पंचायत रुद्रपुर से की जा सकती है।

क्र0स0	सामग्री का नाम	दर प्रति अदद/कि0ग्रा0
1	2	3
1	सोडियम कम्पलीट सेट 70 वाट मय क्लैम्प, नट, बोल्ट, ब्रेकेट, पाईप सहित	
2	सोडियम होल्डर 70 वाट	
3	पेन्डेन्ट होल्डर	
4	बेड स्वीच	
5	तार 1.5 एम0 एम0 कांपर	
6	सी0 एफ0 एल0 बल्ब 65 वाट	
7	सी0 एफ0 एल0 बल्ब 20 वाट	
8	सोडियम बल्ब 250 वाट	
9	सोडियम चोक 250 वाट	
10	केबिल 16 एम0 एम0	
11	केबिल 10 एम0 एम0	
12	केबिल 6 एम0 एम0	
13	केबिल 16 एम0 एम0 4 कोर	
14	चेन्जर 200 एम्पीयर	
15	स्वीच 15 एम्पीयर	
16	स्कूप 1½ ईंच	
17	स्कूप ½ ईंच	
18	बोर्ड 4x4	
19	सनमाईका सीट 4x4	
20	लोहा तार 18 नम्बर	
21	सी0 एफ0 एल0 होल्डर	
22	सोडियम होल्डर 250 वाट	
23	कन्डेन्सर 250 वाट	
24	नट बोल्ट 3 ईंच लम्बा 3 सूत मोटा	
25	तार 10 एम0 एम0 सिंगल कोर	
26	तार 16 एम0 एम0 सिंगल कोर	
27	तार 40/76 कांपर	
28	साधारण बल्ब 100 वाट	
29	पी0 वी0 सी0 टेप	

नियम एवं भातों :-

- कोटे इनदाता को कोटेशन की दरें कोटे इन पर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है।
- अश्वक्ष नगर पंचायत रुद्रपुर को किसी भी कोटेशन को बिना कारण बतायें स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

3. कोटे इन पर स्पष्ट हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
4. कोटे इन स्वीकृति के पचात आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरकर सामग्रियों की आपूर्ति करना आवश्यक है अन्यथा विलम्ब की दशा में जमानत धनराशि जब्त करते हुए कोटेशन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. कोटे इन दाता फर्म/आपूर्तिकर्ता जिन्हे हैवेल्स, व फिलिप्स कम्पनी द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए अपने उत्पाद की आपूर्ति हेतु अधिकृत नहीं किया गया है वे कोटे इन में भाग नहीं ले सकते हैं। कम्पनी के द्वारा अधिकृत आपूर्तिकर्ता होने का प्रमाण पत्र कोटे इन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. अनुबन्ध हेतु स्टैम्प पेपर नियमानुसार देय होगा।
7. अन्य नियम व भातों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में अवकाश 1 दिन छोड़कर ज्ञात किया जा सकता है।
8. कोटे इन के साथ किसी भी विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत रूद्रपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
9. किसी भी फर्म/ठेकेदार या उसके सहयोगी द्वारा कोटे इन कार्य में व्यवधान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को काली सूची में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने स्थान पर अंकित करायी जायेगी।
10. इस विज्ञापन को www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

(दया भांकर पाठक)

तहसीलदार/अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया

(छट्टे लाल निगम)

अध्यक्ष
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया

पत्रांक

97

/न0प0रू0/सा0 आ0 / 13-14

दिनांक 29 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (स्था0 नि0) देवरिया।
3. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिशद देवरिया/गौरा बरहज/नगर पंचायत सलेमपुर/लार/मझौली राज/भटनी बाजार/भाटपार रानी/रामपुर कारखाना/गौरीबाजार
4. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0/जल निगम/सिंचाई विभाग देवरिया।
5. अध्यक्ष जिला पंचायत, देवरिया।
6. कार्यालय नगर पंचायत के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" गोरखपुर व "यूनाइटेड भारत" गोरखपुर को इस आदेश से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम स्थान में कराकर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।